



Neutral Citation No. 2026:AHC:127566

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19946 वर्ष 2026

अभिषेक

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता	:	महेनम हारून, राजेश कुमार यादव
विपक्षी(यों) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज पूरक शपथपत्र दाखिल कर अभिलेख पर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार यादव और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अटॉर्नी जनरल की दलीलें सुनीं।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक को मामला अपराध संख्या 158 वर्ष 2026 में धारा 191(2), 190, 125, 326(जी), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धारा 7

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1932 के तहत थाना सेक्टर 63, जिला गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् अनमोल, विवेक पांडे, ब्रजमोहन, मुख्तार, विशाल कुमार, शिवम शुक्ला, बसरत उर्फ मोहम्मद बसरतुल्ला, राघवेंद्र सिंह, सोनू कुमार उर्फ बिल्ला, शोएब उर्फ शुएब राजा, विशाल उर्फ मोंटी और अभय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 03.06.2026, 05.06.2026, 10.06.2026, 10.06.2026, 10.06.2026, 10.06.2026, 10.06.2026, 11.06.2026, 11.06.2026, 11.06.2026, 11.06.2026 और 11.06.2026 के आदेशों के माध्यम से आपराधिक मामलों में जमानत दी जा चुकी है। विविध जमानत आवेदन संख्या 19238 वर्ष 2026, 19707 वर्ष 2026, 19373 वर्ष 2026, 19354 वर्ष 2026, 19299 वर्ष 2026, 19292 वर्ष 2026, 19286 वर्ष 2026, 19550 वर्ष 2026, 19540 वर्ष 2026, 19539 वर्ष 2026, 19518 वर्ष 2026 और 18553 वर्ष 2026, क्रमशः। आवेदक का मामला यह है: सह-आरोपी के समान उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह 16.04.2026 से जेल में है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् अनमोल, विवेक पांडे, ब्रजमोहन, मुख्तार, विशाल कुमार, शिवम शुक्ला, बसरत उर्फ मोहम्मद बसरतुल्ला, राघवेंद्र सिंह, सोनू कुमार उर्फ बिल्ला, शोएब उर्फ शुएब राजा, विशाल उर्फ मोंटी और अभय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् अनमोल, विवेक पांडे, ब्रजमोहन, मुख्तार, विशाल कुमार, शिवम शुक्ला, बसरत उर्फ मोहम्मद बसरतुल्ला, राघवेंद्र सिंह, सोनू कुमार उर्फ बिल्ला, शोएब उर्फ शुएब राजा, विशाल उर्फ मौंटी और अभय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन आदेशों को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 16.04.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. जमानत आवेदन **स्वीकार** कर ली गई है।

9. उपरोक्त मामला अपराध में शामिल आवेदक- **अभिषेक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा /खुला रहेगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना, उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता / 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता / 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण जज को गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026
कीर्ति

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”